विविध GCMS नंबर 2023/212 बअनवान भबूतसिंह वगैरा बनाम तहसीलदार बाली वगैरा
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुवे
3/026	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। अप्रार्थीगण संख्या 01, 04 लगाये 09 न्यायालय में आदिनांक तक वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील अप्रार्थी संख्या 02, 03 द्वारा जवाब पेश नहीं करने से इनका जवाब अवसर बंद किया जाता है। उपस्थित वकुलाय की अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रिकॉर्ड का अध्ययन किया गया। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में आधार लिया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम जीवदा बाहरी क्षेत्र के खसरा नंबर 421 रकबा 0.34 हैक्टर पर कभी भी प्रतिवादी संख्या 02 से 09 व इनके पुर्वज जबरसिंह पुत्र जेतसिंह का काश्त व कब्जा नहीं रहा है, इनके खातेदारी की भूमि पडौस में स्थित है, इस भूमि पर वादीगण का काश्त व कब्जा चला आ रहा है, भूमि पर पहले कब्जा जबरसिंह पुत्र भबूतसिंह का था, तथा जबरसिंह नाम का फायदा लेते हुये अधिकार अभिलेखों में त्रुटिपुर्ण इन्द्राज करवा दिये। परन्तु कब्जा कभी भी प्रतिवादीगण का नहीं रहा। जबरसिंह के देहान्त के पश्चात् आनन फानन में राजस्व कर्मचारियो से मिलीभगत कर नामान्तरकरण संख्या 609 दिनांक 19.5.2022 से प्रतिवादी संख्या 02 से 09 ने अपने नाम इन्द्राज करवा दिये। इन्द्राज के बाद भूमि को बेचने की नियत से खरिदकर्ताओ को मौके पर लाकर वादीगण को उनके पुराने कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने की धमकी दी, तब वादीगण ने अपने अधिवक्ता से मिलकर रेकर्ड की नकले लेकर वाद पेश किया, तथा प्रस्तुत घोषणा खातेदारी व सार्वकालिक निषेधाज्ञा के वाद के साथ उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है। वाद के निस्तारण में समय लगेगा एवं इस दौरान् यदि अप्रार्थी संख्या 02 से 09 अपने मनसुबो में सफल हो गये, तो प्रस्तुत उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र एवं घोषणा खातेदारी व सार्वकालिक निषेधाज्ञा के वाद का मकसद ही समाप्त हो जावेगा। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रकरण में वाद के निर्णय तक बहक प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने की दलील दी गई। प्रार्थीगण द्वारा अपनी दलीलो के समर्थन में मौके पर कब्जे के साक्ष्य स्वरूप स्वयं केरसिंह पुत्र खीमसिंहजी जाति राजपूत निवासी जीवदा का शपथ पत्र भी पेश किया। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यो व प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यो एवं शपथ पत्र में उल्लेखित कथनो का अध्ययन किया गया। धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत विधि द्वारा स्थापित बिंदुओ प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन, अपुरणीय क्षति के बिंदुओं पर मनन किया गया। उपलब्ध रिकार्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात वादग्रस्त भूमि ग्राम जीवदा(बाहरी क्षेत्र) के खसरा नंबर 421 रकबा 0.3400 हैक्टर किस्म बारानी सोयम की भूमि के संबंध में मूल वाद के निर्णय तक रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। 16/3/026 सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली